



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220166  
CG-DL-E-25062020-220166

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ 4, 1942

No. 234]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

**फा. सं. बीएस/11/08/2020.**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों पर भर्ती) विनियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों पर भर्ती) विनियम, 2020 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “अधिनियम” से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) “प्रशासन, वित्त और अन्य पदों” से इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में समाविष्ट पद अभिप्रेत है;

(ग) “नियुक्ति प्राधिकारी” से समूह ‘क’ कर्मचारियों के संबंध में महानिदेशक और समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ के कर्मचारियों के संबंध में उपमहानिदेशक (प्रशासन) अभिप्रेत है;

(घ) “नियम” से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(ङ) “अनुसूची” से इन विनियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) “अनुसूचित जातियों” और “अनुसूचित जनजातियों” के वही अर्थ होंगे, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में उनके हैं;

(छ) “छानबीन समिति” (Screening Committee) से विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (iv) उपखंड (क) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) “चयन समिति” से विनियम 9 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, और अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं; वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और नियमों में क्रमशः उनके हैं।

**3. लागू होना** – ये विनियम अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे:

परन्तु तत्कालीन भारतीय मानक संस्था में इन पदों पर पदाधिकारियों द्वारा दी गई नियमित सेवाएं इन विनियमों के प्रयोजन के लिए गिनी जाएं।

**4. भर्ती की पद्धति** – पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उस से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (10) में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, पदावधि और प्रतिनियुक्ति भत्ता केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होंगे।

**5. सीधी भर्ती** – (1) जहां अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) रिक्तियाँ, रिक्तियों के संबंध में पूरी जानकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ, विहित अर्हताएँ, आयु सीमा और अनुभव, आदि की एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार, प्रमुख समाचार पत्रों और ब्यूरो के वेबसाइट पर विज्ञापित की जाएगी;

(ii) विहित अर्हताएँ, अनुभव और आयु सीमा वाले अभ्यर्थी पद के लिए पात्र होंगे:

परन्तु ब्यूरो के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की दशा में और ऐसे प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित विस्तार तक और प्रत्येक श्रेणी की बाबत अधिसूचित विस्तार तक ऊपरी सीमा में शिथिल की जा सकती है:

परन्तु यह और कि ऐसे पद जिनके लिए विहित आयु सीमा पचास वर्ष से कम है, विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में शिथिल करके पचास वर्ष की आयु सीमा तक की जा सकती है और ऐसे पद जिनके लिए विहित आयु सीमा पचास वर्ष या अधिक है पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है;

(iii) सीधी भर्ती के सभी पद निम्नानुसार प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा:-

(क) लिखित या ऑनलाइन परीक्षा, जिसके अंतर्गत अनुलिपि, टंकण और अन्य व्यावहारिक परीक्षा भी है, महानिदेशक द्वारा विनिश्चित की जाने वाली तारीखों और स्थानों पर ब्यूरो द्वारा विभागीय रूप से या किसी व्यावसायिक संस्था अथवा एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाएगी;

(ख) समूह ‘क’ पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में पचासी प्रतिशत और साक्षात्कार के लिए पंद्रह प्रतिशत को महत्त्व दिया जाएगा और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में से ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिया है, योग्यता क्रम से विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से चार गुणा से अधिक नहीं होगी;

परन्तु समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ पदों के लिए बिना किसी साक्षात्कार के चयन किया जाएगा; और

(ग) समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों द्वारा यथा अवधारित योग्यता और विहित अर्हक कौशल परीक्षण अर्थात् आशुलिपि परीक्षण या टंकण गति परीक्षण या व्यावसायिक परीक्षण अथवा उसके ऐसे सम्मिश्रण जिसका केवल अर्हक परीक्षण किया जाएगा, के आधार पर किया जाएगा और कौशल परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने लिखित या ऑनलाइन परीक्षण में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हैं, योग्यता क्रम से विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से चार गुणा से अधिक नहीं होगी;

(iv) (क) सीधी भर्ती [उप विनियम (iii) में दी गई पद्धति से भिन्न] या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की दशा में प्राप्त आवेदनों पर छानबीन समिति द्वारा छानबीन की जाएगी जिसमें ब्यूरो के तीन ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे के न हों और इनमें से वरिष्ठतम समिति का अध्यक्ष होगा जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु छानबीन में उस पद की पंक्ति से ऊपर का एक ऐसा अधिकारी होगा जिस पद के लिए चयन किया जा रहा हो;

(ख) छानबीन समिति द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध के रूप में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा;

(v) जहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को विनियम (iii) में अधिकथित मानदंड के आधार पर नहीं भरा जाता है वहाँ ऐसे प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को संबंधित पद पर चयन करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की उपयुक्तता निर्धारण करने के अधीन रहते हुए उस आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शिथिलीकरण देते हुए चयनित किया जा सकेगा;

(vi) रिक्तियों को भरने के लिए योग्यता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जो ऐसी सूची बनाई जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी:

परन्तु प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) उप विनियम (1) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, ऐसी अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा या उन्हें ऐसे दायित्व दिए जा सकते हैं, जिन्हें नियुक्त प्राधिकारी आवश्यक समझे अथवा परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए विभागीय परीक्षा या परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परन्तु प्रशिक्षण का मापदंड, दिए जाने वाले दायित्व, और परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए उत्तीर्ण की जाने वाली विभागीय परीक्षा वही होगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर सिफारिश की गई हो और जिसे महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की गई हो:

परन्तु यह और कि जहाँ महानिदेशक नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहाँ कार्यकारी समिति का अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा।

**6. प्रतिनियुक्ति -** जहाँ अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है वहाँ ऐसे पदों को भरने के लिए पदों की संख्या, विहित अर्हताएँ, आयु-सीमा, विशेष विशेषज्ञ, यदि कोई अपेक्षित हो, और ऐसे अनुभव जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा अन्य विषय जो आवश्यक हो, के बारे में पूरी जानकारी देते हुए कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में और ब्यूरो के वेबसाइट पर भी विज्ञापित की जाएगी:

परन्तु प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी प्रतिनियुक्ति साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष की होगी:

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी करते हैं और विनियम 5 के उपविनियम (1) के खंड (iv) के उपखंड (क) के अधीन गठित छानबीन समिति द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध है चयन के लिए बुलाया जाएगा।

### 7 (1) प्रोन्नति - प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए :-

(i) कोई पद चयन अथवा अचयन पद होगा जो इन विनियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (5) में दिया गया है;

(ii) किसी चयन पद पर प्रोन्नति ज्येष्ठता पर सम्यक ध्यान रखते हुए की जाएगी और कार्यकारी समिति द्वारा समय समय पर अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार समुचित चयन समिति सेवा अभिलेख जिसके अंतर्गत वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट भी है और उस पद के लिए सिफारिश जिसमें उनकी प्रोन्नति की जा सकेगी को ध्यान में रखते हुए प्रोन्नति के लिए विचार क्षेत्र के भीतर आने वाले कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण किया जाएगा।

(iii) अचयन पद पर प्रोन्नति अनुपयुक्तता के अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा जो समुचित चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेख जिसके अंतर्गत वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट भी है से अवधारित की जाएगी;

(2) इन विनियमों के अधीन संबंधित कर्मचारी संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत रिपोर्ट के अधीन वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए हकदार होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय हो।

**8. नियुक्ति प्राधिकारी-** (1) सभी पदों पर नियुक्ति विनियम 9 में दी गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी :

परन्तु उपमहानिदेशक के स्तर के सभी पदों पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी:

परन्तु यह और कि प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्ति, जिस के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, को चयन समिति को नहीं भेजा जाएगा।

**9. चयन समिति की रचना-** (1) पे मैट्रिक्स में लेवल 13 में वेतन वाले समूह 'क' और उससे ऊपर के पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) महानिदेशक, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार;

(iii) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग का प्रतिनिधि;

(iv) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी समिति के दो सदस्य; और

(v) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो के एक या दो वरिष्ठ अधिकारी।

(2) पे मैट्रिक्स में लेवल 10 से लेवल 12 तक के वेतन वाले समूह 'क' पदों के लिए चयन समिति 'क' में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) महानिदेशक, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) उपमहानिदेशक (प्रशासन);

(iii) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो का वैज्ञानिक जी या वैज्ञानिक एफ;

(iv) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग का प्रतिनिधि; और

(v) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो के एक या दो वरिष्ठ अधिकारी।

(3) समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों के लिए चयन समिति 'ख और ग' में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) उपमहानिदेशक (प्रशासन), समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो में कार्मिक कार्य देखने वाला एक अधिकारी;

(iii) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य अधिकारी; और

(iv) ब्यूरो के कार्मिक कार्य देखने वाले सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक।

(4) इन विनियमों के अधीन संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन स्कीम तथा अकृत्यिक श्रेणी के अधीन उन्नयन प्रदान करने के लिए मामलों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए छानबीन समिति की संरचना वही होगी जैसा कि संबंधित चयन समिति में दी गई है;

(5) संबंधित चयन समितियों की सिफारिशों को महानिदेशक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु उपरोक्त उप-विनियम (2) और (3) में दी गई चयन समिति में दो सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय या महिला सदस्य होंगे जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा।

**10. पदों की श्रेणी और उनकी प्राधिकृत संख्या** -पदों की श्रेणी और उनकी प्राधिकृत संख्या वही होगी जो, समय-समय पर, कार्यकारिणी समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अवधारित की गई हो।

**11. शिथिल करने की शक्ति**- जहाँ ब्यूरो की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों के किसी भी प्रावधान को शिथिल किया जा सकता है:

परन्तु इसको कार्यान्वित किए जाने से पूर्व ऐसी शिथिलकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन लिया जाएगा।

**12. व्यावृत्ति** - इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जनों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**13. निर्वचन** - इन विनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

**अनुसूची (प्रशासन, वित्त और अन्य पद संवर्ग)  
(विनियम 3, 4, 5, 6 और 7 देखें)**

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अ-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	प्रोन्नति या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/आमेलन द्वारा नियुक्ति की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण /आमेलन किया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>समूह 'क' पद</b>									
1.	उपमहा-निदेशक (प्रशासन)	1	लेवल-13क (रु. 131100-216600)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित दो वर्ष की अवधि का स्नाकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्मिक प्रबंधन, सामान्य प्रशासन में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<b>प्रोन्नति:-</b> ऐसे सचिव/निदेशक (मानव संसाधन विकास)/ निदेशक (प्रशासन) /निदेशक (सामान्य सेवाएं)/ निदेशक (स्थापना)/ निदेशक(प्रशिक्षण)/निदेशक (विधि) जिन्होंने चयन ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की है: परन्तु निदेशक (मुद्रण), निदेशक (विदेशी भाषा) और निदेशक (सूचना सेवाएं) का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को चयन ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्र. सं. (i) पर विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं भी उप महानिदेशक (प्रशासन) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। <b>प्रतिनियुक्ति :-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल-13 (रु. 123100-215900) में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।
2.	उपमहा-निदेशक (वित्त)	1	लेवल-13क (रु. 131100-	चयन पद	50 वर्ष	(i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या कॉस्ट एवं वर्क्स अकाउन्टेन्ट या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	लागू नहीं होता	<b>प्रोन्नति :-</b> ऐसे निदेशक (वित्त) या निदेशक (लेखा) जिन्होंने चयन ग्रेड

			216600)			अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से वित्त में विशेषज्ञता के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन; और (ii) वित्त प्रबंधन में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा		में दो वर्ष नियमित सेवा की है: परन्तु निदेशक (मुद्रण), निदेशक (विदेशी भाषा) और निदेशक (सूचना सेवाएं) का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को चयन ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्र. सं. (i) पर की विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं भी उप महानिदेशक (वित्त) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। <b>प्रतिनियुक्ति :-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या ऐसे पदधारी जो पे मैट्रिक्स के लेवल - 13 (रु. 123100-215900) में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं।
3.	निदेशक (चयन ग्रेड)	4*	लेवल-13 (रु. 123100- 215900)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	ऐसे सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (मानव संसाधन विकास)/निदेशक (सामान्य सेवाएं)/निदेशक (सतर्कता)/निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशन)/निदेशक(स्थापना)/निदेशक(प्रशिक्षण)/निदेशक (लेखा)/निदेशक (वित्त) /निदेशक (विधि) जिन्होंने इन पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है: परन्तु निदेशक (मुद्रण), निदेशक (विदेशी भाषा) और निदेशक (सूचना सेवाएं) का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी भी पात्र होंगे जिन्होंने इन पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
*चयन ग्रेड के पद अकृत्यिक होंगे।									
4.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	लेवल-13 (रु. 123100- 215900)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (रु 78800-209200) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। वांछनीय योग्यता: सतर्कता मामलों में अनुभव।
5.	सचिव	1	लेवल 12 (रु. 78800-	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	आयु : नहीं	<b>प्रोन्नति :</b> ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन और वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में

			209200))			परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन अथवा श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन अथवा श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; (ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	पे मैट्रिक्स के लेवल-11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल - 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ हैं।
6.	निदेशक (वित्त)	1	लेवल 12 (रु.78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेन्ट अथवा सर्बोर्डिनेट अकाउन्टेन्ट सर्विस अकाउन्टेन्ट अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ); और (iii) लेखा अथवा वित्त कार्य में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु: नहीं  शैक्षणिक अर्हता: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) और (ii) में उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति : ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों के पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट /कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेन्ट / सर्बोर्डिनेट अकाउन्टेन्ट सर्विस अकाउन्टेन्ट / किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ) की अर्हताएँ हैं। <b>प्रतिनियुक्ति :-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) व (ii) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं।
7.	निदेशक (प्रशासन)	1	लेवल 12 (रु. 78800-209200))	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं  शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर	प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल

						विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय, सामान्य सेवाओं में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो जिसके साथ कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय इत्यादि से संबंधित नियमों की पूरी जानकारी हो; स्टाफ कल्याण गतिविधियों और भवन रख-रखाव का अनुभव हो।		उपदर्शित विस्तार तक	भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। <b>प्रतिनियुक्ति:-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
8.	निदेशक (विधि)	1	लेवल 12 (रु. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री/एल.एल.बी. और (ii) विधि के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/सांविधिक/ स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रम में वरिष्ठ पद पर हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों के पे मैट्रिक्स के लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री या एल.एल.बी. है। प्रतिनियुक्ति: (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 10 (रु. 56100-177500) में दस वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल-11 और लेवल 10 में दस वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।



9.	निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) *	1	लेवल 12 (रु. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) अथवा जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सांविधिक/ स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसियों में मार्केटिंग/जनसंचार/सोशल वर्क के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव वरिष्ठ पद पर हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (मार्केटिंग और उपभोक्ता मामले/प्रकाशन) जिन्होंने इन विनियमों के लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) अथवा जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा है।  प्रतिनियुक्ति: (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
*निदेशक (जन संपर्क) का पद वर्तमान पदधारी हेतु ब्यक्तिक होगा। यह पद वर्तमान निदेशक (जन संपर्क) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/आदि पर सेवा की समाप्त होने पर निदेशक (मार्केटिंग और उपभोक्ता मामले) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।									
10.	निदेशक (सामान्य सेवाएं)*	1	लेवल 12 (रु. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय, सामान्य सेवाओं में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो जिसके साथ कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय इत्यादि से संबंधित नियमों की पूरी जानकारी हो; स्टाफ कल्याण गतिविधियों और भवन रख-रखाव का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।  प्रतिनियुक्ति:- (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु.

									67700-208700) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
<b>*निदेशक (सूचना सेवा) का पद वर्तमान पदधारी हेतु व्यक्ति होगा। यह पद वर्तमान निदेशक (सूचना सेवा) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/आदि पर सेवा की समाप्त होने पर निदेशक (सामान्य सेवाएँ) के रूप में पुनःपदाभिहित किया जाएगा।</b>									
11.	निदेशक (प्रशिक्षण)*	1	लेवल 12 (रु. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य सरकार या कानूनी/ स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं  शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।  <b>प्रतिनियुक्ति:-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
<b>*निदेशक (मुद्रण) का पद वर्तमान पदधारी हेतु व्यक्ति होगा। यह पद वर्तमान निदेशक (मुद्रण) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/आदि पर सेवा के समाप्त होने पर निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में पुनःपदाभिहित किया जाएगा।</b>									
12.	निदेशक (मानव संसाधन विकास)*	1*	लेवल 12 (रु. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं  शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ

						<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/ स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।</p>		<p>बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

\*निदेशक (बिक्री) का पद वर्तमान पदधारी हेतु व्यक्ति होगा। यह पद वर्तमान निदेशक (बिक्री) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/आदि पर सेवा के समाप्त होने पर निदेशक (मानव संसाधन विकास) के रूप में पुनःपदाभिहित किया जाएगा।

13.	निदेशक (स्थापना)	1	लेवल 12 (रू. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/ स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर उपदर्शित विस्तार तक</p>	<p>प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे</p>
-----	------------------	---	----------------------------	--------	---------	--	--	---	--

									मैट्रिक्स में लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
14.	निदेशक (लेखा)	1	लेवल 12 (रू. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ; (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेन्ट अथवा सर्वोडिनेट अकाउन्ट सर्विस अकाउन्टेन्ट अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ); और (iii) लेखा कार्य में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु: नहीं  शैक्षणिक अर्हता: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) और (ii) में उपदर्शित सीमा तक	प्रोन्नति : ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों के पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट /कॉस्ट अकाउन्टेन्ट / सर्वोडिनेट अकाउन्टेन्ट/ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ) की अर्हताएं हैं।  <b>प्रतिनियुक्ति :-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) व (ii) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
15.	निदेशक (सतर्कता) *	1	लेवल 12 (रू. 78800-209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्मिक प्रबंधन/ सतर्कता के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं  शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन

						उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में पांच वर्ष का अनुभव हो।			अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।  <b>प्रतिनियुक्ति:-</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 11 (रू. 67700-208700) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और  (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
<b>*निदेशक (विदेशी भाषा) का पद वर्तमान पदधारी हेतु व्यक्ति होगा। यह पद वर्तमान निदेशक (विदेशी भाषा) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/आदि पर सेवा के समाप्त होने पर निदेशक (सतर्कता) के रूप में पुनःपदाभिहित किया जाएगा।</b>									
16.	उप निदेशक (हिंदी)	2	लेवल 11 (रू. 67700-208700)	चयन पद	40 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें अंग्रेजी/हिंदी माध्यम रहा हो और डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; और  (ii) हिंदी में शब्दावली कार्य का पांच वर्ष का अनुभव और/या तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अधिमानतः अंग्रेजी से हिंदी या विपर्ययेन अनुवाद	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लाभू नहीं होता	<b>प्रोन्नति:</b> ऐसे सहायक निदेशक (हिंदी) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 (रू. 56100-177500) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।  <b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क)(i) ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; (ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल -10 (रू. 56100-177500) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और  (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्र.सं. (i) पर सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।
17.	उप निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले/ प्रकाशन/ पुस्तकालय)	12	लेवल 11 (रू. 67700-208700)	चयन पद	40 वर्ष	<b>उप निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) के लिए:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) या जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और  (ii) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सांविधिक/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में मार्केटिंग/जनसंचार /सोशल	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लाभू नहीं होता	<b>प्रोन्नति:</b> ऐसे सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले/ प्रकाशन/ पुस्तकालय) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 10 (रू. 56100-177500) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।  <b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) (i) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा; (ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 10 (रू.

					<p>वर्क के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>उप निदेशक (प्रकाशन) के लिए:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा कला में बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी/प्रकाशन में डिप्लोमा; और</p> <p>(iii) तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकाशनों के किसी सु-स्थापित प्रकाशन / मुद्रण गृह में जिम्मेदार हैसियत से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सांविधिक/ स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में हो।</p> <p><b>उपनिदेशक (पुस्कालय) के लिए:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्कालय विज्ञान अथवा पुस्कालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर डिग्री); अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्कालय विज्ञान अथवा पुस्कालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b> कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।</p>		<p>56100-177500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास संबद्ध शाखा में स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ हैं।</p>		
18.	उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	11	लेवल 11 (रु. 67700-208700)	चयन पद	40 वर्ष	<p><b>उप निदेशक (प्रशासन) के लिए:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का कार्मिक प्रबंधन/ मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नाकोत्तर डिप्लोमा; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री/विधि स्नातक; और</p> <p>(ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव जिस में से पाँच वर्ष का अनुभव केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसे सहायक निदेशक (प्रशासन और वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56100-177500) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है:</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56100-177500) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रशासन एवं वित्त के क्षेत्र का पाँच वर्ष का अनुभव हो; और</p> <p>(ख) ऐसे पदधारी जिनके पास संबद्ध शाखा में स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ हैं।</p>

						निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में वरिष्ठ पद पर हो। <b>उप निदेशक (वित्त)</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट /कोस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेन्ट / सबोर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस अकाउन्टेन्ट / मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता सहित); (iii) अकाउंट के काम में आठ साल का अनुभव, जिसमें से पाँच वर्ष वरिष्ठ पद पर केंद्रीय/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक / स्वायत्त निकाय / पब्लिक सेक्टर के उपक्रम / प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में हों।			
19.	सहायक निदेशक (हिंदी)	2	लेवल-10 (रु. 56100-177500)	चयन पद	35 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें अंग्रेजी/हिंदी माध्यम रहा हो और डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या (ii) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में हिंदी में शब्दावली कार्य और/या अंग्रेजी से हिंदी या विपर्ययेन अनुवाद कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव	(i) 50% पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (i) 50% पद सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं  शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-7 (रु 44900-142400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति: (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सद्दृश्य पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल-8 (रु 47600-151100) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम.सं. (i) पर प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ हैं।
20.	सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले/ प्रकाशन/ पुस्कालय)	2	लेवल-10 (रु. 56100-177500)	लागू नहीं होता	35 वर्ष	<b>उप निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) के लिए:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) या जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

						सरकार/ सांविधिक/स्वायत्त निकाय / पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में मार्केटिंग/जनसंचार/सोशल वर्किंग के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव। <b>उप निदेशक (प्रकाशन) के लिए:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा कला में बैचलर डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी/प्रकाशन में डिप्लोमा; और (iii) तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकाशनों के किसी सु-स्थापित प्रकाशन / मुद्रण गृह में जिम्मेदार हैसियत से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सांविधिक/ स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में हो। <b>उपनिदेशक (पुस्कालय) के लिए:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्कालय विज्ञान अथवा पुस्कालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर डिग्री); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्कालय विज्ञान अथवा पुस्कालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो। <b>वांछनीय:</b> कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।			
21.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	14	लेवल-10 (रु. 56100-177500)	चयन पद	35 वर्ष	<b>सहायक निदेशक (प्रशासन):</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का कार्मिक प्रबंधन/ मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नाकोत्तर डिप्लोमा; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री/विधि स्नातक; और (ii) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त	i) 75% पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ii) 25% पद सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव जिन्होंने इन नियमों के पे मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु 44900-142400) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री है। प्रतिनियुक्ति: (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हैं; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल-8 (रु 47600-151100) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास सुसंगत शाखा में स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित



						निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।			शैक्षिक अर्हताएँ हैं।
						<b>सहायक निदेशक (वित्त):</b> (i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट/ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेन्ट/ सर्वोर्डिनेट अकाउंट सर्विस अकाउन्टेन्ट/ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ); और (ii) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।			
<b>समूह ख पद</b>									
22.	पर्यवेक्षक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन)	18	लेवल-7 (रु 44900-142400)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे सहायक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) जिन्होंने इन विनियमों के पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (रु 35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
23.	अनुभाग अधिकारी	113	लेवल-7 (रु 44900-142400)	चयन पद	30 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक/वित्त विशेषज्ञता सहित); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का कार्मिक प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन/ वित्त में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	(i) 75% पद प्रोन्नति द्वारा; और (ii) 25% पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने इन विनियमों के पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (रु 35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने ऑफिस मैनुअल टेस्ट उत्तीर्ण किया है। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से: ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी या निजी सहायक जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (रु 35400-112400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने ऑफिस मैनुअल टेस्ट उत्तीर्ण किया है। प्रतिनियुक्ति: (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हैं; या (ii) पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (रु 35400-112400) में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं।
अकृत्यिक श्रेणी:- पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स में लेवल - 8 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की शिफारिशों के अनुसार अकृत्यिक श्रेणी- I प्रदान किया जायेगा।									
24.	निजी सचिव	85	लेवल-7 (रु 44900-	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 75% पद प्रोन्नति द्वारा;	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे निजी सहायक जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में

			142400)				और (ii) 25% पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर		लेवल 6 (रु 35400-112400) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने ऑफिस मैनुअल टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।  सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से: ऐसे निजी सहायक जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (रु 35400-112400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने ऑफिस मैनुअल टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।
अकृत्यिक श्रेणी :- पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले निजी सचिव को पे मैट्रिक्स में लेवल- 8 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की शिफारिसों के अनुसार अकृत्यिक श्रेणी- I प्रदान किया जायेगा।									
25.	पुस्तकालयाध्यक्ष	5	लेवल-7 (रु.44900-142400)	चयन पद	30 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिग्री।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे उपपुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (रु. 35400 - 142400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।  प्रतिनियुक्ति: (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हैं; या (ii) पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (रु. 35400-112400) में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।
26.	वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	2	लेवल-7 (रु.44900-142400)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (रु. 35400-112400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
27.	उपपुस्तकालयाध्यक्ष	10*	लेवल-6 (रु.35400-112400)	अचयन पद	लागू नहीं होता	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे पुस्तकालय सहायक जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष नियमित सेवा की है।  प्रतिनियुक्ति: (क) ऐसे अभ्यर्थी जो नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हैं; तथा (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।
*6वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात् उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के दोनों पदों का उसी लेवल में होने के कारण विलय कर दिया गया है।									
28.	पर्यवेक्षक (रिप्रोग्राफी)	4	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ ऑपरैटर जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-

									92300) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।
29.	सहायक अनुभाग अधिकारी	208	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	अचयन पद	30 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य; और (ii) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा के लेवल-6 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) महानिदेशक द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार, कंप्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षण आयोजित की जाएगी।	75% पद प्रोन्नति द्वारा और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु. 25500-81100) में दस वर्ष नियमित सेवा की है।
30.	निजी सहायक	115	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	अचयन पद	30 वर्ष	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ख) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा (एमएसक्यूएफ) के लेवल-6 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी; और (ग) अभ्यर्थी का आशुलिपि परीक्षण में सात मिनट तक सौ शब्द अंग्रेजी या हिंदी में श्रुतिलेखन होगा जिसे पैतालिस मिनट (अंग्रेजी श्रुतिलेखन) और साठ मिनट में (हिंदी श्रुतिलेखन) में प्रतिलेखन करना होगा और कंप्यूटर का ज्ञान अपेक्षित होगा।  दृष्टि बाधित ऐसे उम्मीदवार, जिनकी निःशक्तता चालीस प्रतिशत और इससे अधिक हो, उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 70 मिनट और हिंदी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे।  अनुमेय गलतियाँ 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुमेय गलतियों में 10 प्रतिशत शिथिल की जा सकती हैं।	75% पद प्रोन्नति द्वारा और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु. 25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ आशुलिपिक और जिसने सौ शब्द प्रति मिनट में शार्टहेंड टेस्ट एवं स्टाइल मैनुअल टेस्ट पास किया हो।
31.	सहायक (कम्प्यूटर एडिड डिजाइन)	2	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	ऑटो कैड में 5 वर्ष के अनुभव सहित विज्ञान में बैचलर डिग्री और अंग्रेजी में प्रैस-पूफ पठन, टिपोग्राफी एवं सुसंगत प्रैस कार्य में कार्यसाधक ज्ञान; या  ऑटो कैड एवं सुसंगत विषय में ड्राफ्टमैनशीप में 5 वर्ष के अनुभव सहित विज्ञान में बैचलर डिग्री; या  ऑटो कैड एवं सुसंगत विषय में ड्राफ्टमैनशीप में 5 वर्ष के अनुभव सहित सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

32.	कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	6	लेवल-6 (रु 35400-112400)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी/हिंदी माध्यम और डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या (ii) हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स; या हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य या विशेषतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अधिमानतः अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद या इसके विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<b>समूह 'ग' पद</b>									
33.	वरिष्ठ ऑपरेटर	3	लेवल-5 (रु 29200-92300)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे सहायक ऑपरेटर जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु 25500-81100) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।
34.	पुस्तकालय सहायक	1	लेवल-5 (रु 29200-92300)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	तीन वर्ष के अनुभव के साथ पुस्तकालय विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ स्नातक।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
35.	आशुलिपिक	30	लेवल-4 (रु 25500-81100)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी को कम से कम राष्ट्रीय कौशल रूपरेखा के लेवल-5 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) आशुलिपि परीक्षा: अंग्रेजी/ हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपि परीक्षा जिसे कम्प्यूटर पर क्रमशः 50 मिनट या 60 मिनट में प्रतिलेखन करना होगा। दृष्टि बाधित ऐसे उम्मीदवार, जिनकी निःशक्तता चालीस प्रतिशत और इससे अधिक हो, उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 70 मिनट और हिंदी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

						अनुमेय गलतियाँ 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुमेय गलतियों में 10 प्रतिशत की शिथिलता की जा सकती है।			
36.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	227	लेवल-4 (रू 25500-81100)	अचयन पद	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; तथा (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होगा: क) बर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट-15 मिनट में 2000 की-डिप्रेशन; ख) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेड शीट्स में टेस्ट-15 मिनट; और ग) पावर प्वाइंट (माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट में टेस्ट-15 मिनट।)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-2 (रू 19900-63200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने स्टाइल मैनुअल टेस्ट उत्तीर्ण किया है। प्रतिनियुक्ति: (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल-2 (रू 19900-63200) में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं।
37	सहायक ऑपरेटर	3	लेवल - 4 (रू 25500 -81100)	अचयन पद	27 वर्ष	मैट्रिक्स या समतुल्य; प्रिंटिंग प्रेस या प्रतिष्ठित स्थापना में मशीनों या उपकरणों के रख-रखाव और प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ ऑपरेटर जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-2 (रू 19900 - 63200) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।
38	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	95*	लेवल-2 (रू 19900-63200)	अचयन पद	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा के लेवल-5 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) टंकण गति परीक्षण कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए। (10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के साथ प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन की औसत पर 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः के समकक्ष (अनुमत समय 10 मिनट)	(i) 90% पद सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10% पद ब्यूरो के मैट्रिकुलेट समूह ग (उन्नयित) कर्मचारियों से प्रोन्नति पर निम्नानुसार होंगे: क) 5% पद ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित अर्हक परीक्षाओं के आधार पर। ख) 5% पद भारतीय मानक ब्यूरो में 5 वर्ष की नियमित अनुमोदित सेवा के साथ समूह ग (उन्नयित) कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त के अस्वीकरण के शर्ताधीन।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

						परन्तु यदि 10% पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में मैट्रिकुलेट समूह 'ग' (उन्नयित) व्यूरो के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन 10% पदों को विनियमन 5 के अधीन अधिकथित रीति में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।  परन्तु यह और कि, यदि सचिवालय सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यूरो के समूह 'ग' (उन्नयित) कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक है, तो बाद के वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए इस तरह की अधिकता पर विचार किया जाएगा।			
*पदाधिकारी की प्रोन्नति के परिणामस्वरूप पुस्तकालय लिपिक के एक पद का कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद में विलय किया गया है।									
39	संपदा प्रबंधक	2	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	40 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से हाई स्कूल डिग्री; और (ii) पुनर्वासि महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास सुरक्षा मामले में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
40.	स्टाफ कार ड्राईवर								
	क) स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष ग्रेड)	1	लेवल-6 (रु 35400-112400)	अच्यन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-5 (रु 29200-92300) में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।
	ख) स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I)	4	लेवल-5(रु 29200-92300)	अच्यन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु 25500-81100) में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है तथा ग्रेड-I पद के लिए व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।
	ग) स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II)	4	लेवल-4(रु 25500-81100)	अच्यन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड) जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स में लेवल-2 (रु 19900-63200) में 9 वर्ष की नियमित सेवा की है

									तथा ग्रेड-II पद के लिए व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।
	घ) स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	4	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	30 वर्ष	(i) हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा पढ़ने, लिखने का योग्यता हो, (ii) जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमाम्य चालक अनुज्ञप्ति सहित पाँच वर्ष का अनुभव हो; (iii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
41.	जूनियर ऑपरेटर	2	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/एयर-कंडीशनिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक (डीजल इंजन) अथवा इसके समतुल्य ट्रेड में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। अथवा फिल्टर/बढ़ई/प्लंबर/वायर-मैन/वैलिंग ट्रेड में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र, विशेषतः आईएस 1161:1998 के अनुसार अथवा इसके समतुल्य वेल्डिंग क्वालीफाइंग टेस्ट भी उत्तीर्ण किया हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
42.	सीनियर मल्टी टास्किंग स्टाफ	40	लेवल-2 (रु 19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे मल्टी टास्किंग स्टाफ जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स लेवल-1 (रु 18000-56900) में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।
43.	डिस्पैच राइडर	1	लेवल-2 (रु 19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानांतरण: ऐसे लिफ्ट अटेंडेंट जो अंग्रेजी एवं/अथवा हिंदी/क्षेत्रीय भाषा लिखने, पढ़ने की योग्यता और विधिमाम्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो। प्रोन्नति: (i) ऐसे मल्टीटास्किंग स्टाफ जिन्होंने इन नियमों में लेवल-1 (रु 18000-56900) में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो; एवं (ii) जिनके पास विधिमाम्य चालक अनुज्ञप्ति हो।
44.	उद्यान पर्यवेक्षक	1	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) संबंधित कार्य का ज्ञान।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
45.	लिफ्ट अटेंडेंट	2	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (ii) लिफ्ट संबंधी सुरक्षा उपकरण का ज्ञान हो; (iii) कम से कम एक वर्ष तक लिफ्ट अटेंडेंट अथवा लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में काम किया हो।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

46.	मल्टी टास्किंग स्टॉफ	344	लेवल-1 (रु 18000-56900)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (उच्चतर माध्यमिक) कक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य या आईटीआई उत्तीर्ण हो।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कैटीन पद									
47.	हलवाई	4	लेवल-3 (रु 21700-69100)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा (टिप्पण- 3 नीचे देखें)	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे सहायक हलवाई या रसोइया जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स लेवल-2 (रु 19900-63200) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
48.	रसोइया	2	लेवल-2 (रु 19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे कैटीन अटेंडेंट जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स लेवल-1 (रु 18000-56900) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
49.	सहायक हलवाई	1	लेवल-2 (रु 19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे कैटीन अटेंडेंट जिन्होंने इन विनियमों में पे मैट्रिक्स लेवल-1 (रु 18000-56900) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
50.	मैनेजर कम सेल्समेन	1	लेवल-3 (रु 21700-69100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	इन पदों में कोई भर्ती नहीं होगी (टिप्पण 3 नीचे देखें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
51.	कूपन क्लर्क	3	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
52.	सेल्स क्लर्क	2	लेवल-2 (रु 19900-63200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
53.	कैटीन अटेंडेंट	56	लेवल-1 (रु 18000-56900)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<p><b>टिप्पण-1:</b> निदेशक (वित्त) और निदेशक (लेखा) के पद अंतः परिवर्तनीय होंगे।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> निदेशक (प्रशासन), निदेशक (सामान्य सेवाएँ), निदेशक (स्थापना), निदेशक (मानव संसाधन विकास), निदेशक (सतर्कता), और निदेशक (प्रशिक्षण) के पद अंतःपरिवर्तनीय होंगे।</p> <p><b>टिप्पण-3:</b> क्रम संख्या 47 से 53 में उल्लिखित पद डाइंग कैडर पद हैं और वर्तमान कर्मचारियों से संबन्धित हैं और उनकी सेवानिवृत्त/प्रोन्नति/सेवामुक्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के परिणामस्वरूप सेवा की समाप्ति के बाद भविष्य में कैटीन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी।</p>									

ले. कर्नल (से.नि.) कुमार शान्तनु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./91/2020-21]



**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)**

(Bureau of Indian Standards)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2020

**F. No. BS/11/08/2020.**— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Administration, Finance and Other Posts) Regulations, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

**1. Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Administration, Finance and Other Posts) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** – In these regulations, unless the context otherwise requires -

(a) “Act” means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) “Administration, Finance and Other Posts” means the posts included in the Schedule appended to these regulations;

(c) “Appointing Authority”, in relation to Group ‘A’ employees means, the Director General and in relation to Group ‘B’ and Group ‘C’ employees means the Deputy Director General (Administration);

(d) “rules” means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018;

(e) “Schedule” means a Schedule appended to these regulations;

(f) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings as are respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;

(g) “Screening Committee” means the Committee constituted under sub-clause (a) of clause (iv) of sub-regulation (1) of regulation 5;

(h) “Selection Committees” means the Committees constituted under regulation 9;

(i) words and expressions used in these regulations, but not defined, and defined in the Act or the rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules, as the case may be.

**3. Application.** – These regulations shall apply to posts mentioned in column (2) of the Schedule:

Provided that the services rendered by the incumbents to these posts in the erstwhile Indian Standards Institution on a regular basis shall be counted for the purpose of these regulations.

**4. Method of Recruitment.** – The number of posts, the level in the pay matrix, the method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (2) to (10) of the Schedule.

Provided that the maximum age-limit, tenure and deputation allowance for appointment on deputation basis shall be in accordance with the Central Government guidelines.

**5. Direct recruitment.** – (1) Where any posts specified in column (2) of the schedule is required to be filled by direct recruitment, the following procedure shall be followed, namely:-

(i) vacancies shall be advertised in the Employment News, Rozgar Samachar, leading newspapers and on the website of the Bureau giving, among others, full information regarding number of vacancies, reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Persons with Disability and ex-Servicemen and other special categories of persons as specified by the Central Government from time to time, prescribed qualifications, age-limit and experience, etc;

(ii) candidates possessing the prescribed qualifications, experience and age-limit shall be eligible for the post:

Provided that the upper age-limit may be relaxed in case of the officers and employees of the Bureau and in respect of such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Central Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category:

Provided further that the upper age-limit may be relaxed for Departmental candidates upto the age of fifty years for the posts for which the prescribed age-limit is less than fifty years, and by five years for posts for which the prescribed age-limit is fifty years or more;

- (iii) all posts of direct recruitment shall be filled through competitive examination as under:-
- (a) a written or online examination, including shorthand, typewriting and other practical tests, shall be conducted by the Bureau departmentally or through a professional institution or agency on dates and at places to be decided by the Director General;
  - (b) for Group 'A' posts, the candidates shall be selected by giving eighty-five per cent weightage to the written or online examination and fifteen per cent weightage to the interview and the number of candidates to be called for interview shall be not more than four times the number of vacancies advertised in the order of merit from among the candidates who have secured at least fifty percent marks in the written or online examination:

Provided that for Group 'B' and Group 'C' posts, the selection shall be made without any interview; and

- (c) for Group 'B' and Group 'C' posts, the candidates shall be selected on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained in written or online examination and qualifying the prescribed Skill Test viz. Shorthand Test or Typing Speed Test or Trade Test or combination thereof, which shall be qualifying tests only and the number of candidates to be called for skill test shall be not more than four times the number of vacancies advertised, in the order of merit from among the candidates who have secured at least fifty percent marks in the aggregate in the written or online examination;

(iv) (a) in the case of posts to be filled by direct recruitment [other than the method given in sub-regulation (iii)] or deputation, applications received shall be got screened by the Screening Committee consisting of not less than three officers of the Bureau not below the rank of Deputy Director and the senior-most amongst them shall be the Chairman of the committee, to be nominated by the Director General:

Provided that at least one officer in the Screening Committee shall be above the rank of the post for which the selection is being made;

(b) the candidates as shortlisted by the Screening Committee shall be considered by the Selection Committee for selection;

(v) where posts reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Persons with Disability, ex-Servicemen and other special categories of persons are not filled on the basis of the criteria laid down in sub-regulation (iii), the candidates belonging to such category may be selected by giving relaxation as per Government guidelines to make-up the deficiency in the reserved quota, subject to suitability of such candidates for selection to the post concerned;

(vi) a waiting list, in addition to the select list of successful candidates, shall be drawn up in order of merit for filling up the vacancies, which shall remain valid for a period of one year from the date such list is drawn:

Provided that the number of candidates in waiting list shall not exceed fifty per cent of the number of posts advertised.

(2) The candidates appointed by direct recruitment under sub-regulation (1) shall be on probation for a period of two years in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020, during which period, they may be required to undergo such training or may be given such responsibilities as may be deemed necessary by the Appointing Authority or may be required to pass departmental examination or examination for successful completion of probation:

Provided that the module of the training, responsibilities to be given and the departmental examination to be passed for successful completion of probation shall be such as may be recommended by the Appointing Authority and approved by the Director General from time to time:

Provided further that where the Director General is the Appointing Authority, approval of the Executive Committee shall be obtained.

**6. Deputation.** – (1) Where any posts specified in column (2) of the schedule is required to be filled up by deputation, such posts shall be advertised in at least two leading newspapers and also on the website of the Bureau giving full information regarding number of posts, prescribed qualifications, age-limit, special expertise, if any, required and the experience as specified in the schedule and such other matter as may be necessary:

Provided that the maximum age-limit for appointment on deputation basis shall not exceed fifty-six years on the closing date of the receipt of the application:

Provided further that the period of such deputation shall not ordinarily exceed three years and the maximum period of deputation shall be five years;

(2) The candidates who fulfill the prescribed requirements and are shortlisted by the Screening Committee constituted under sub-clause (a) of clause (iv) of sub-regulation (1) of regulation 5 shall be called for selection.

**7. Promotions.** - (1) For the purpose of promotion, -

(i) a post shall be either a selection or a non-selection post as given in the column (5) of the Schedule appended to these regulations;

(ii) promotion to a selection post shall be with due regard to seniority and the appropriate Selection Committee shall judge the suitability of eligible employees within the zone of consideration in accordance with the procedure laid down by the Executive Committee from time to time, for promotion taking into account the record of service including Annual Performance Appraisal Reports and recommend the order in which promotions may be made;

(iii) promotion to a non-selection post shall be made, on the basis of seniority subject to rejection of unfit as determined from the record of service including Annual Performance Appraisal Reports, by the appropriate Selection Committee;

(2) The employees concerned under these regulations shall be entitled to the grant of financial up-gradations under the Modified Assured Career Progression Scheme as admissible to the employees of the Central Government, as per the guidelines laid down by Central Government from time to time.

**8. Appointing Authority.** - (1) Appointments to all posts shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the Selection Committees as given in regulation 9:

Provided that appointments to all posts of the level of Deputy Director General shall be made with the approval of the Central Government:

Provided further that the appointment to the post of Chief Vigilance Officer on deputation basis requiring approval of the Central Government shall not be referred to the Selection Committee;

**9. Composition of Selection Committees.** - (1) The Selection Committee for Group 'A' Posts with the pay in the level-13 in the pay matrix and above shall consist of the following members, namely:-

- (i) Director General, who shall be the Chairman of the Committee;
- (ii) Financial Advisor of the ministry having administrative control of the Bureau;
- (iii) A representative of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau;
- (iv) Two members of the Executive Committee to be nominated by Director General; and
- (v) One or two senior officer of Bureau to be nominated by the Director General.

(2) The Selection Committee 'A' for Group 'A' Posts with the pay in the level-10 to level-12 in the pay matrix posts shall consist of the following members, namely: -

- (i) Director General, who shall be the Chairman of the Committee;
- (ii) Deputy Director General (Administration);
- (iii) Scientist G or Scientist F of the Bureau nominated by the Director General;
- (iv) A nominee of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau; and
- (v) One or two senior officers to be nominated by the Director General.

(3) Selection Committee 'B and C' for posts in Groups 'B' and 'C' shall consist of the following members, namely:

- (i) Deputy Director General (Administration), who shall be the Chairman;
- (ii) One officer dealing with personnel functions to be nominated by Director General;
- (iii) Two other officers to be nominated by the Director General; and
- (iv) Assistant Director or Deputy Director dealing with Personnel functions in the Bureau.

(4) The composition of Screening Committee for the purpose of considering and recommending the cases for grant of financial up-gradations under Modified Assured Career Progression Scheme and Non-Functional Grade under these regulations shall be the same as respective Selection Committee;

(5) The recommendations of respective Selection Committees shall be submitted to the Director General for approval.

Provided that the Selection Committee given at sub-regulation (2) and (3) shall consist of two members belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or the Other Backward Classes or a Minority community or Women, of whom one shall be from the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe.

**10. Categories of posts and their authorised strength.** - The categories of posts and their authorized strength shall be such as may, from time to time, be determined by the Executive Committee with the approval of the Central Government.

**11. Power to relax.** - Where the Bureau is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons:

Provided that the approval of Central Government shall be taken for such relaxation before it is implemented.

**12. Savings.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Persons with Disability and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**13. Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Executive Committee with the approval of the Central Government.

**SCHEDULE (Administration, Finance and Other Posts Cadre)**  
(See Regulation 3, 4, 5, 6, and 7)

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>GROUP 'A' POSTS</b>									
1.	Deputy Director General (Administration)	1	Level-13A (Rs.131100-216600).	Selection post.	50 years.	(i) Masters of Business Administration from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution with specialization in Personnel Management or Human Resources Management; or Post Graduate Diploma in Management (two years duration) from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution with specialization in Personnel Management or Human Resource Management; and	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Secretary/Director (Human Resource Development)/ Director (Administration)/ Director (General Services)/ Director (Establishment)/ Director (Training)/ Director (Legal) with two years' regular service in the Selection Grade:  Provided that the incumbents holding the posts of Director (Printing), Director (Foreign Language) and Director (Information Services) with two years regular service in the Selection Grade on the date of notification of these regulations in the Official Gazette and possessing the

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(ii) At least fifteen years' experience in Personnel Management, General Administration, out of which, at least five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.			educational qualifications prescribed at serial number (i) under Column 7 shall also be eligible for promotion to the post of Deputy Director General (Administration).  Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with two years' regular service in Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix; and (b) Possessing educational qualifications prescribed for direct recruits in Column 7, serial number (i).
2	Deputy Director General (Finance)	1	Level-13A (Rs.131100-216600).	Selection post.	50 years.	(i) Chartered Accountant or Cost and Works Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance from recognized University or All India Council for Technical Education approved Institute; and  (ii) At least fifteen years' experience in Financial Management, out of which at least five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Director (Finance) or Director (Accounts) with two years' regular service in the Selection Grade:  Provided that the incumbents holding the posts of Director (Printing), Director (Foreign Language) and Director (Information Services) with two years regular service in the Selection Grade on the date of notification of these regulations in the Official Gazette and possessing the educational qualifications prescribed at serial number (i) under Column 7 shall also be eligible for promotion to the post of Deputy Director General (Finance).  Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with two years regular service in Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix; and (b) Possessing educational

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									qualifications prescribed for direct recruits in Column 7, serial number (i).
3.	Director (Selection Grade)	4*	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable	By promotion.	Not applicable.	Secretary/ Director (Administration)/ Director (Human Resource Development)/ Director (General Services)/ Director (Vigilance)/ Director (Corporate Communication) /Director (Establishment)/ Director (Training)/ Director (Accounts)/ Director (Finance)/ Director (Legal) with five years' regular service in the post:  Provided that the incumbents holding the posts of Director (Printing), Director (Foreign Language) and Director (Information Services) with five years' regular service in the post shall also be eligible.
*The posts shall be non-functional selection grade.									
4.	Chief Vigilance Officer	1	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Not applicable.	Officers of Central Government holding analogous post or officers with five years' regular service in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.  Desirable qualification: Experience in vigilance matters.
5.	Secretary	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Post Graduate Degree in Personnel Management or Human Resource Management or Labour and Social Welfare from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management or Labour and Social Welfare from a	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix in these regulations and possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.  Deputation: a) Officers holding analogous post on regular basis; or

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution; and</p> <p>(ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous bodies or public sector undertaking/ reputed Government agency.</p>			<p>Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix; and</p> <p>(b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under column 7.</p>
6.	Director (Finance)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognized university;</p> <p>(ii) Chartered Accountant or Cost &amp; Works Accountant or Subordinate Accounts Service Accountant or Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; and</p> <p>(iii) Ten years' experience in accounts or finance work of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) and (ii) under Column 7.	<p>Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix in these regulations and possessing qualifications of (i) Bachelor's Degree from a recognized university; (ii) Chartered Accountant/Cost &amp; Works Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) and (ii) under Column 7.</p>
7.	Director (Administration)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/	By promotion failing which by deputation and failing	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>All India Council for Technical Education approved Institution;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution;</p> <p>and</p> <p>(ii) Ten years' experience in Office Management, Stores Purchase, General Services of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency with thorough knowledge of Government of India Rules pertaining to office management, stores purchase, etc; experience in staff welfare activities and building maintenance.</p>	both by direct recruitment.	serial number (i) under Column 7.	<p>(Rs.67700-208700) in these regulations:</p> <p>Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.</p>
8.	Director (Legal)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	<p>(i) Bachelor's Degree in Law/ LLB from a recognized university; and</p> <p>(ii) At least ten years' experience in the field of Law, out of which five years shall be in a senior position in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	<p>Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in these regulations and possessing a Bachelor's Degree in Law/ LLB from a recognized University.</p> <p>Deputation: (a) Officer holding analogous post on regular basis; or Officer with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in</p>



Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									the pay matrix; or Officers with ten years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; or Officers with ten years' combined regular service in the level-11 and level-10 in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under column 7.
9.	Director (Marketing and Consumer Affairs)*	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	i) Masters of Business Administration (Marketing) or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution; and  ii) At least ten years' experience in the field of Marketing / Mass Communication / Social Work of which five years' shall be in a senior position in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Marketing and Consumer Affairs /Publication) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in these regulations possessing Masters of Business Administration (Marketing) or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution.  Deputation: (a) Officers holding analogous posts on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix. (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
* The post of Director (Public Relations) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Marketing and Consumer Affairs) on cessation of the service of the incumbent Director (Public Relations) on retirement/resignation/etc.									
10.	Director (General Services) *	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in these regulations: Possessing Master of Business

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and</p> <p>(ii) Ten years' experience in Office Management, Stores Purchase, General Services of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency with thorough knowledge of Government of India Rules pertaining to office management, stores purchase, etc; experience in staff welfare activities and building maintenance.</p>			<p>Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis;</p> <p>or</p> <p>Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and</p> <p>(b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.</p>
* The post of Director (Information Services) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (General Services) on cessation of the service of the incumbent Director (Information Services) on retirement/resignation/etc.									
11.	Director (Training) *	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	<p>(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university or All India Council</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	<p>Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in these regulations:</p> <p>Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a</p>

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>for Technical Education approved institution; and</p> <p>(ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p>			<p>recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university or All India Council for Technical Education approved institution.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.</p>
* The post of Director (Printing) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Training) on cessation of the service of the incumbent Director (Printing) on retirement/resignation/etc.									
12.	Director (Human Resource Development)*	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	<p>(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and</p> <p>(ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	<p>Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding</p>

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.			analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.
* The post of Director (Sales) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Human Resource Development) on cessation of the service of the incumbent Director (Sales) on retirement/resignation/etc.									
13.	Director (Establishment)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and  (ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution.  Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.	Director (Accounts)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Bachelor's Degree from recognized university;  (ii) Chartered Accountant or Cost and Works Accountant or Subordinate Accounts Service Accountant or Master of Business Administration (with specialization in finance) from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; and  (iii) Ten years' experience in accounts work of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) and (ii) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in these regulations and possessing qualifications of Chartered Accountant/ Cost Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution.  Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) and (ii) under Column 7.
15.	Director (Vigilance) *	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No  Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in these regulations; Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management/Vigilance of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.			Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution.  Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial (i) under Column 7.
* The post of Director (Foreign Language) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Vigilance) on cessation of the service of the incumbent Director (Foreign Language) on retirement/resignation/etc.									
16.	Deputy Director (Hindi)	2	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	40 years.	(i) Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level; and  (ii) Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Assistant Director (Hindi) with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix in these regulations.  Deputation: (a) (i) Officers holding analogous posts on regular basis (ii) Officers with five years regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; and (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						of technical or scientific literature.			
17.	Deputy Director (Marketing and Consumer Affairs / Publication/ Library)	12	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	40 years.	<p><u>For Deputy Director (Marketing and Consumer Affairs):</u></p> <p>(i) Masters of Business Administration (Marketing) or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution; and</p> <p>(ii) Five years' experience in the field of Marketing / Mass Communication / Social Work in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p> <p><u>For Deputy Director (Publication):</u></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Science or Arts from a recognized university;</p> <p>(ii) Diploma in Printing Technology/ Publication from a recognized institution; and</p> <p>(iii) At least five years' experience in responsible capacity in a well-established publishing/printing house of technical and scientific publications of which five years' shall be in a senior position in Central Government/ State Government / Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p> <p><u>For Deputy Director (Library):</u></p> <p>(i) Master's Degree</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	<p>Promotion: Assistant Director (Marketing and Consumer Affairs / Publication/ Library) with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix in these regulations.</p> <p>Deputation: (a) (i) Officers holding analogous post on regular basis; or (ii) Officers with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; and (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7 in the relevant discipline.</p>

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>(Post Graduate Degree) in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution;</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Diploma in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; and</p> <p>(ii) At least five years' experience in a library under Central Government/State Government// Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ recognized University/Institute. Desirable: Diploma in Computer Applications.</p>			
18.	Deputy Director (Administration & Finance)	11	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	40 years,	<p><u>For Deputy Director (Administration):</u></p> <p>(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma in Personnel Management / Human Resource Management of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Degree in law from a recognized university/ Bachelor of law; and</p> <p>(ii) Eight years' experience in the field of personnel management, out of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable,	<p>Promotion: Assistant Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in pay matrix in these regulations.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix and possessing five years' experience in the field of Administration /Finance; and</p> <p>(b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7 in the relevant discipline.</p>



Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p><u>For Deputy Director (Finance):</u></p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University;</p> <p>(ii) Chartered Accountant/ Cost &amp; Works Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization);</p> <p>(iii) Eight years' experience in accounts work, out of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p>			
19.	Assistant Director (Hindi)	2	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	35 years.	<p>(i) Master's Degree/ Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level; and</p> <p>(ii) Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/</p>	<p>(i) 50% post by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% post by direct recruitment.</p>	<p>Age: No</p> <p>Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.</p>	<p>Promotion: (i) Senior Translator (Hindi) with five years' regular service in the level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix in these regulations; and (ii) The candidate possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment as given column 7.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix; and (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for deputation at serial number (i) under Column 7.</p>

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.			
20.	Assistant Director (Marketing and Consumer Affairs /Publication/ Library)	2	Level-10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.	35 years	<p><u>For Assistant Director (Marketing and Consumer Affairs):</u></p> <p>(i) Masters of Business Administration (Marketing) or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution; and</p> <p>(ii) Five years' experience in the field of Marketing / Mass Communication / Social Work in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p> <p><u>For Assistant Director (Publication):</u></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Science or Arts from a recognized university;</p> <p>(ii) Diploma in Printing Technology or Publication from a recognized institution; and</p> <p>(iii) At least five years' experience in responsible capacity in a well-established publishing/printing house of technical and scientific publications of which five years' shall be in a senior position in Central Government/ State Government / Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/reputed Government agency.</p> <p><u>For Assistant Director (Library):</u></p>	By Direct Recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>(i) Master's Degree (Post Graduate Degree) in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution or Post Graduate Diploma in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; and</p> <p>(ii) At least five years' experience in a library under Central Government/ State Government/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ recognized University/Institute. Desirable: Diploma in Computer Applications.</p>			
21.	Assistant Director (Administration and Finance)	14	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	35 years	<p><u>For Assistant Director (Administration):</u></p> <p>(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree/Post Graduate Diploma in Personnel Management / Human Resource Management of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Degree in law from a recognized university / Bachelor of law; and</p> <p>(ii) Three years' experience in the relevant field in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.</p> <p><u>For Assistant Director (Finance):</u></p>	<p>i) 75% of posts by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment</p> <p>ii) 25% of posts by Direct Recruitment</p>	Not applicable	<p>Promotion: Section Officer/Private Secretary with five years' regular service in the level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix in these regulations possessing Bachelor's Degree from recognized University.</p> <p>Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-8 (47600-151100) in the pay matrix; (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7 in the relevant discipline.</p>

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(i) Chartered Accountant/ Cost and Works Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; and (ii) Three years' experience in the relevant in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.			
<b>GROUP 'B' POSTS</b>									
22.	Supervisor (Computer Aided Design)	18	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Assistant (Computer Aided Design) with five years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in these regulations.
23.	Section Officer	113	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	30 years.	Master of Business Administration (with Personnel/ Finance specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma in Personnel Management/ Human Resource Management/ Finance of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution.	(i) 75% of posts by promotion; and (ii) 25% of posts on the basis of Limited Departmental Competitive Examination failing which by deputation and failing both by direct recruitment	Not applicable.	Promotion: Assistant Section Officer with five years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in these regulations and who has passed the Office Manual Test.  Through Limited Departmental Competitive Examination: Assistant Section Officer or Personal Assistant with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test.  Deputation: (a) (i) persons holding analogous post on regular basis; or (ii) Candidates in level-6 (Rs.35400-142400) in the pay matrix with three years regular service.  (b) Officers possessing

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
Non-functional Grade:- Non-functional Grade-I in Level – 8 in the pay matrix, as per recommendation of the Seventh Central Pay Commission, shall be granted to the Section Officer with five years' regular service in the post.									
24.	Private Secretary	85	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 75% of posts by promotion; and (ii) 25% of posts on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.	Not applicable.	Promotion: Personal Assistant with five years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test.  Through Limited Departmental Competitive Examination: Personal Assistant with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test.
Non-functional Grade:- Non-functional Grade-I in Level-8 in the pay matrix, as per recommendation of the Seventh Central Pay Commission, shall be granted to the Private Secretary with five years' regular service in the post.									
25.	Librarian	5	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	30 years.	Master's Degree in Library Science from a recognized University; or Master's Degree in Library and Information Science from a recognized University; or Degree in Library Science from a recognized University; or Degree in Library and Information Science from a recognized University.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Deputy Librarian with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in these regulations.  Deputation: (a) (i) Persons holding analogous post on regular basis or (ii) Candidates in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with three years' regular service; (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
26.	Senior Translator (Hindi)	2	Level-7 (Rs.44900-142400).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Junior Translator (Hindi) with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in these regulations.
27.	Deputy Librarian	10*	Level-6 (Rs.35400-	Non - selection	Not applicable.	Master's Degree in Library Science or	By promotion	Not applicable.	Promotion: Library Assistant with six

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			112400).	post.		Master's Degree in Library and Information Science from a recognized University.	failing which by deputation.		years' regular service in the level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix in these regulations.  Deputation: (a) Persons holding analogous post on regular basis; or (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
* The posts of Deputy Librarian and Assistant Librarian have been merged as both posts have been placed in same level after implementation of 6 <sup>th</sup> Pay Commission.									
28.	Supervisor (Reprography)	4	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Senior Operator with five years' regular service in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix in these regulations.
29.	Assistant Section Officer	208	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	30 years.	(i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent; and  (ii) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-6 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and  (iii) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency, as decided by the Director General.	75% of posts by promotion and 25% of posts by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Senior Secretariat Assistant with ten years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in these regulations.
30.	Personal Assistant	115	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	30 years.	(a) Degree from a recognized University;  (b) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-6 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and  (c) shorthand test in English or Hindi comprising dictation test at hundred words per minute for seven minutes which the candidates shall be required to transcribe in forty five minutes	75% of posts by promotion and 25% of posts by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Stenographer with ten years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in these regulations and who has passed Shorthand Tests at hundred words per minute and Style Manual Test.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>(English dictation) and in sixty minutes (Hindi dictation) and knowledge of computer.</p> <p>visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test.</p> <p>Permissible mistakes: five per cent.</p> <p>The permissible mistakes shall be relaxable upto ten per cent, if adequate number of qualified candidates (i.e. with five per cent mistakes) are not available in any category against the vacancies advertised.</p>			
31.	Assistant (Computer Aided Design)	2	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	<p>Bachelor's Degree in Science with five years' experience in Auto CAD and reading press proofs in English, working knowledge of typography and related press work;</p> <p>or</p> <p>Bachelor's Degree in Science with five years' experience in Auto CAD and draftsmanship in the relevant discipline;</p> <p>or</p> <p>Diploma in Engineering in Civil/Mechanical/ Electrical with five years' experience in Auto CAD and draftsmanship in the relevant discipline.</p>	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
32.	Junior Translator (Hindi)	6	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	27 years.	<p>(i) Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in English with Hindi</p>	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>as a subject at the Degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in any subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level;</p> <p>(ii) Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa; or Two years' experience of terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.</p>			
<b>GROUP 'C' POSTS</b>									
33.	Senior Operator	3	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Assistant Operator with six years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in these regulations.
34.	Library Assistant	1	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	27 years.	Graduate with recognized Diploma in Library Science with three years' experience.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
35.	Stenographer	30	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	27 years.	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University;</p> <p>(ii) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-5 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and</p> <p>(iii) Shorthand Test: English/Hindi Shorthand test at the speed of eighty words per minute which the candidates shall have to transcribe on Computer in fifty or sixty five minutes, respectively.</p>	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.



Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>Visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test.</p> <p>Permissible mistakes: five per cent.</p> <p>The permissible mistakes shall be relaxable upto ten per cent, if adequate number of qualified candidates (i.e. with five per cent mistakes) are not available in any category against the vacancies advertised.</p>			
36.	Senior Secretariat Assistant	227	Level-4 (Rs.25500-81100).	Non - selection post.	27 years.	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University; and</p> <p>(ii) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency consisting of:</p> <p>(a) Word Processing Test - 2000 Key Depressions in fifteen minutes;</p> <p>(b) Test in Spread Sheets on Microsoft Excel - fifteen minutes; and</p> <p>(c) Test in Power Point (Microsoft Power Point) - fifteen minutes.</p>	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable	<p>Promotion: Junior Secretariat Assistant with eight years' regular service in the level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix in these regulations and who has passed Style Manual Test.</p> <p>Deputation: (a) (i) Persons holding analogous post, or (ii) eight years regular service in Junior Secretariat Assistant in the level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix. (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.</p>
37.	Assistant Operator	3	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non - selection post.	27 years.	Matric or equivalent; three years' experience in maintenance and operation of machines or equipments in a Printing Press or an establishment of repute.	By promotion failing which by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Junior Operator with eight years' regular service in the level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix in these regulations.
38.	Junior Secretariat Assistant	95*	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	27 years.	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University;</p> <p>(ii) Computer Proficiency Test: The</p>	<p>(i) 90% of posts by direct recruitment.</p> <p>(ii) 10% of posts by appointment</p>	Not applicable.	Not applicable

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						<p>candidate should be proficient at least upto Level-5 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and</p> <p>(iii) Typing Speed Test: A typing speed of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer (thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). (Time allowed - ten minutes)</p>	<p>on promotion from Matriculate Group C (upgraded) employees of the Bureau as follows:</p> <p>(a) 5% of posts on the basis of qualifying examinations held for this purpose by the Bureau.</p> <p>(b) 5% of posts on the basis of combined seniority of Group 'C' (upgraded) employees of the Bureau with 5 years continuous approved service in Bureau of Indian Standards, subject to reject of the unfit.</p> <p>Provided that if sufficient number of Matriculate Group 'C' (upgraded) employees of the Bureau do not become available to fill 10% of posts, these 10% of posts shall be filled through direct recruitment in the manner laid down under regulation 5.</p> <p>Provided further that, if the number of Group 'C' (upgraded) employees of the Bureau who qualify for appointment as Junior Secretariat Assistant is</p>		

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							in excess of the posts available, such excess shall be considered for filling up the vacancies arising in the subsequent year.		
*One post of Library Clerk has been merged with the post of Junior Secretariat Assistant (JSA) consequent upon promotion of the incumbent.									
39.	Estate Manger	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	40 years.	(i) High school degree from a recognised board or institute; and (ii) Ex-servicemen through the Directorate General of Re-settlement, Ministry of Defence, with at least five years' experience in security matters.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
40.	Staff Car Driver								
	a) Staff Car Driver (Special Grade)	1	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Staff Car Driver (Grade-I) with three years' regular service in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix in these regulations.
	b) Staff Car Driver (Grade-I)	4	Level-5 (Rs.29200-92300).	Non - selection post.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) with six years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in these regulations and who has passed the Trade Test for Grade-I post.
	c) Staff Car Driver (Grade-II)	4	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non - selection post.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years' regular service in the level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix in these regulations and who has passed the Trade Test for Grade-II post.
	d) Staff Car Driver (Ordinary Grade)	4	Level-2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	30 years.	(i) ability to read, write, Hindi/ English/ Regional Language; (ii) must possess a valid driving licence for motor car with five years' experience; (iii) knowledge of motor mechanism.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
41.	Junior Operator	2	Level-2 (Rs. 19900-	Not applicable.	27 years.	Certificate course from Industrial Training	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			63200).			Institute in the trade of Electrician/ Air-condition in/ Refrigeration/ Mechanic (Diesel Engine) or its equivalent, with two years' practical experience in the respective trade after having obtained the Industrial Training Institute Certificate. or Industrial Training Institute Certificate in the trade of Fitter/ Carpenter/ Plumber/ Wireman/ Welding, preferably having also passed Welders qualifying tests as per IS 1161:1998 or its equivalent, two years' practical experience in the respective trade after having obtained the Industrial Training Institute Certificate.			
42.	Senior Multi-Tasking Staff	40	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Multi-Tasking Staff with four years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in these regulations.
43.	Despatch Rider	1	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Transfer failing which by promotion.	Not applicable.	Transfer: Lift Attendant with ability to read and write English; and/or Hindi/Regional Language and possessing a valid driving licence.  Promotion: (i) Multi-Tasking Staff with three years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in these regulations.; and (ii) Possessing a valid driving licence.
44.	Horticulture Supervisor	1	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	27 years.	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognized board or institute. (ii) Shall be familiar with the job.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
45.	Lift Attendant	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	27 years.	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognized board or institute. (ii) Shall be conversant with the safety device relating to lift;	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(iii) Shall have worked as Lift Attendant or Lift Operator for a period of at least one year.			
46.	Multi-Tasking Staff	344	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	27 years.	Passed 12 <sup>th</sup> Standard (Senior Secondary) or equivalent from recognized board or Industrial Training Institute pass.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
<b>CANTEEN POSTS</b>									
47.	Halwai	4	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion (See Note 3 below).	Not applicable.	Promotion: Assistant Halwai or Cook with at least three years' regular service in the level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix in these regulations.
48.	Cook	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Promotion: Canteen Attendant with at least three years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in these regulations.
49.	Assistant Halwai	1	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Promotion: Canteen Attendant with at least three years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in these regulations.
50.	Manager-cum-Salesman	1	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	No recruitment shall be made to these posts (See Note 3 below).	Not applicable.	Not applicable.
51.	Coupon Clerk	3	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.
52.	Sales Clerk	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.
53.	Canteen Attendant	56	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.
<b>NOTE-1</b> The posts of Director (Finance) and Director (Accounts) will be inter-changeable.									
<b>NOTE-2</b> The posts of Director (Administration), Director (General Services), Director (Establishment), Director (Human Resource Development), Director (Vigilance) and Director (Training) will be inter-changeable.									
<b>NOTE-3</b> The posts at serial numbers 47 to 53 are dying cadre posts and are personal to the present employees and further recruitment of canteen employees shall not be made on their cessation of service consequent upon their superannuation/promotion/removal/resignation/death.									

Lt. Col. (Retd.) KUMAR SHANTANU, Secy.  
[ADVT.-III/4/Exty./91/2020-21]